न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथरामआर.ए.एस.)

आवेदन संख्याः–2020/00139

दर्ज तिथिः–31.08.2020

1. डूंगराराम पुत्र निम्बाराम
   जाति विश्नोई निवासी भारते की बेरी,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. रूखमण पत्नि खींयाराम
2. पांचाराम पुत्र मंगलाराम
3. मोहनलाल पुत्र मंगलाराम
4. मीरा देवी पत्नी मंगलाराम
5. भाखराराम पुत्र लाखाराम
6. मोहनलाल पुत्र भाखराराम
   जातिविश्नाई निवासी भारते की बेरी,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
7. पेमाराम पुत्र लाखाराम
   जाति विश्नोई निवासी मानसिंह की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
8. बाबुदेवी पत्नी हनुमानराम
   जाति विश्नोई निवासी जांभोजी का मंदिर,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
9. सुमित्रा पत्नि अशोक
   जाति विश्नोई निवासी भारते की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

................असल विप्रार्थीगण

10. प्रबंधक,आरएमजीबी बैंक शाखा धोरीमन्ना
11. प्रबंधक,एसबीआई बैंक शाखा धोरीमन्ना
12. तहसीलदार धोरीमन्ना

...........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
श्री जगदीश कुमार
प्रतिप्रार्थीगण:–श्री रामनिवास विश्नोई
श्री बलवन्तसिंह चौधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

डूंगराराम बनाम रूखमण
2020/00139
निर्णय दिनांकः—11.02.2025

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—11.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—कराजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 350/343/26.9195 है0(मूल खसरा संख्या 27) वाके ग्राम भारते की बेरी ,तहसील धोरीमन्नामें अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 350/343में जाने हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 30/7.8914 है0वाके ग्राम भारते की बेरी तहसील धोरीमना से रास्ता प्रस्तावित कर चाहा गया है।
2. प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 3 गट्ठा चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय वकुलाय असालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने के निवेदन को स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार धोरीमन्ना से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 10.02.2025 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना—पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना—पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सर्वसहमति से रास्ता निकालने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. *- (1) Where -*

(a) a tenant intends to lay an underground pipe[illegible] the holding of another khatedar for the purpose of irrigatio[illegible] holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to [illegible] a new way, or enlargement or widening of an existing w[illegible]gh the holding of another khatedar to have access to his holding or as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by [illegible]tual agreement, the

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is grantedor in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant ***preferably*** *having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and [illegible] for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through [illegible]her khatedar's holding, that absence of alternative [illegible] is proved, may allow the application. The application shall be decided by [illegible]e Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

है।तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का <u>लघुत्तम मार्ग</u>रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 350/343/26.9195 है0 वाके ग्राम भारते की बेरी,पटवार हल्का खारी ,तहसील धोरीमन्ना में पहुँच के प्रयोजन के लिए रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 30/7.8914 है0 वाके ग्राम भारते की बेरी तहसील धोरीमना में से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है।साथ ही प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बिना प्रतिफल प्राप्त किए खसरा संख्या 30 के सेढे बनी डामर सड़क से रास्ते हेतु समर्पित खसरा 349/343/0.4857 है0 तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 30/7.8914 है0 में लम्बाई 115 गट्ठा,चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.1396 है0 (ए से बी बरंग लाल रंग) तथा इसी खसरे में बाबूदेवी पत्नी हनुमानराम मेंसे लंबाई 74 गट्ठा,चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.0898 है0 (बी से सी बरंग लाल रंग) तथा इससे आगे समर्पित रास्ते तक प्रार्थी डूंगराराम के खसरा संख्या 350/343/26.9195 है0 में लंबाई 7 गट्ठा चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.0085 है0 वाके ग्राम भारते की बेरी से होकर लघुत्तम मार्ग को बिना कोई प्रतिफल लिए सर्वसहमति से रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025 के अवलोकन अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से उक्त रास्ता बिना कोई प्रतिफल के प्रस्तावित किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग आपसी सहमति से निर्धारण के विकल्प मुताबिक तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक10.02.2025द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित लघुतम मार्ग रास्ते नक्शा निम्नानुसार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

डूंगराराम बनाम रूखमण
2020/00139
निर्णय दिनांकः—11.02.2025

राजस्थान सरकार
खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

जिला : बाड़मेर
पटवार हल्का : खारी
तहसील : धोरीमन्ना
ग्राम : भारचे की बेरी

NIC-BHUNAKSHA
दिनांक 09/02/2025 06:56:36 PM

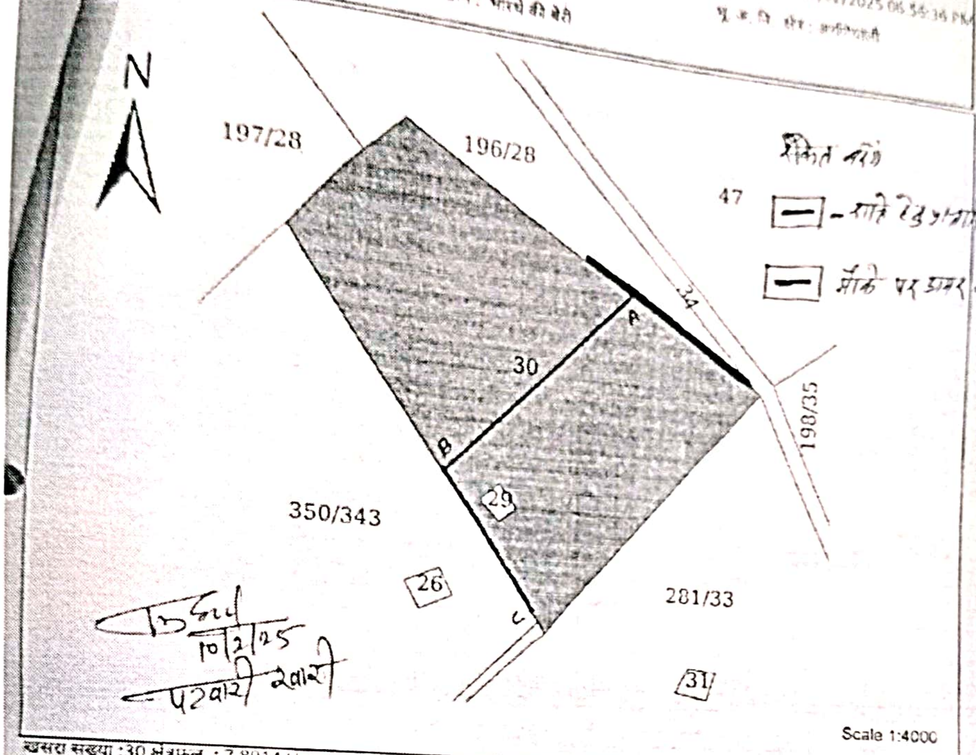

खसरा संख्या :30 क्षेत्रफल : 7.8914 Hectare खाता संख्या : 77पुराना खाता संख्या :73
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [7.8914, 2.92]
1.) ऐलची देवी पत्नि गंगाराम हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा. मानसिंह की बेरी खातेदार
10.) सुमित्रा पत्नि अशोक कुमार हिस्सा- 4856/39457 जाति- विश्नोई सा. बामडला खातेदार
2.) पेमा पुत्र लाखाराम हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना
3.) पांचाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा- 1/15 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार
4.) बाबुदेवी पत्नि हनुमानराम हिस्सा- 157876/7694115 जाति- विश्नोई सा. जाम्भाजी का मंदिर खातेदार
5.) भाखरा पुत्र लाखा हिस्सा- 2/975 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
6.) भाखराराम पुत्र लाखाराम हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
7.) मीरोदेवी पत्नि मंगलाराम हिस्सा- 1/15 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
8.) मोहनलाल पुत्र मंगलाराम हिस्सा- 1/15 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार
9.) मोहनलाल पुत्र भाखराराम हिस्सा- 53/975 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

पांचाराम

बाबू देवी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

मोहनलाल

तहसीलदार (भू.अ.)
धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

डूंगराराम बनाम रूखमण
2020 / 00139
निर्णय दिनांक:—11.02.2025

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

जिला : बाड़मेर | तहसील : धोरीमन्ना | NIC-BHUNAKSHA
पटवारी हल्का : खारी | ग्राम : भारसे की बेरी | दिनांक : 09/02/2025 06:56:36 PM
भू. अ. नि. क्षेत्र : अर्पितावती

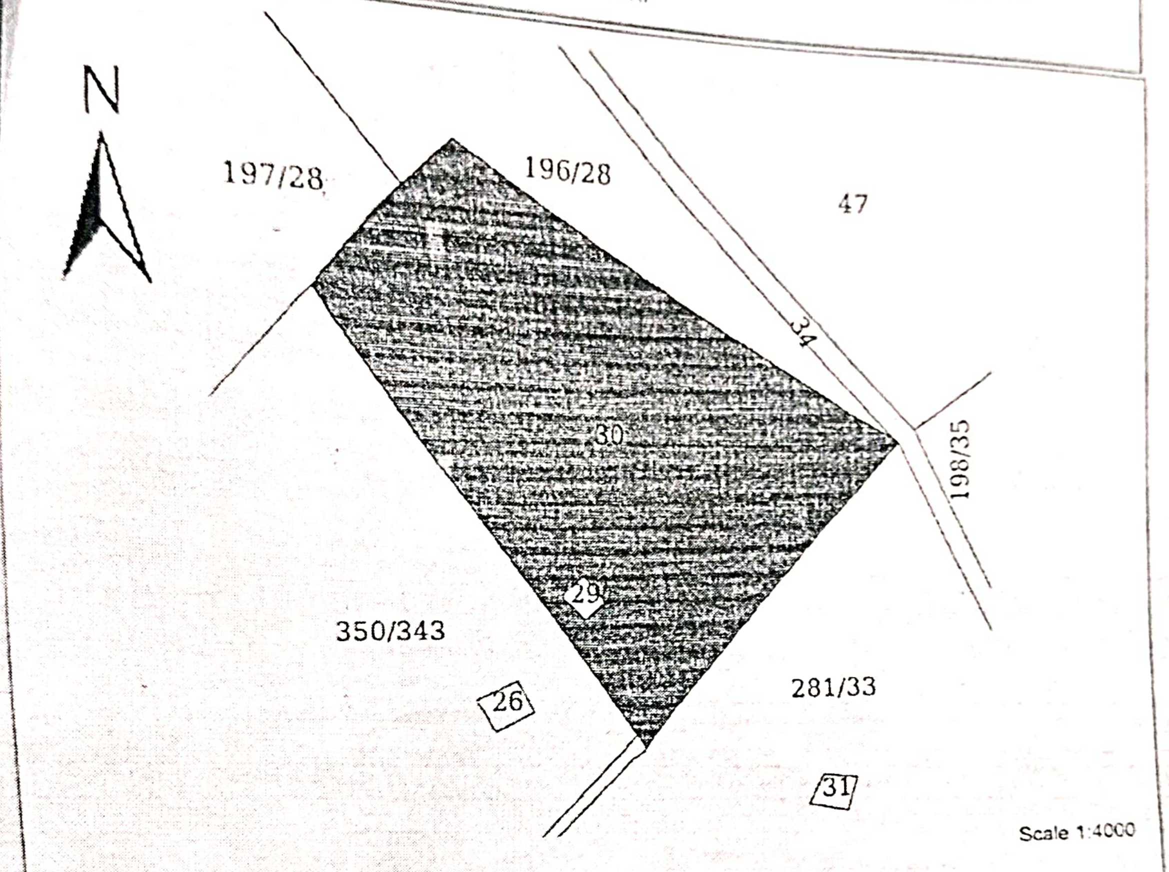

खसरा संख्या :30 क्षेत्रफल : 7.8914 Hectare खाता संख्या : 77पुराना खाता संख्या :73
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [7.8914, 2.92]
1.) एलची देवी पत्नि गंगाराम हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा. मानसिंह की बेरी खातेदार
10.) सुमित्रा पत्नि अशोक कुमार हिस्सा- 4856/39457 जाति- विश्नोई सा. बामडला खातेदार
2.) देमा पुत्र लाखाराम हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बेक शाखा धोरीमन्ना
3.) पाचाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा- 1/15 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार
4.) दाखुदेवी पत्नि हनुमानराम हिस्सा- 157876/7694115 जाति- विश्नोई सा. जाम्भाजी का मंदिर खातेदार
5.) भाखरा पुत्र लाखा हिस्सा- 2/975 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
6.) भाखराराम पुत्र लाखाराम हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
7.) मीरांदेवी पत्नि मंगलाराम हिस्सा- 1/15 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार
8.) मोहनलाल पुत्र मंगलाराम हिस्सा- 1/15 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार
9.) मोहनलाल पुत्र भाखराराम हिस्सा- 53/975 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है। ... जा सकता है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ...
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित जिला/तहसील कार्यालय से ... करें।

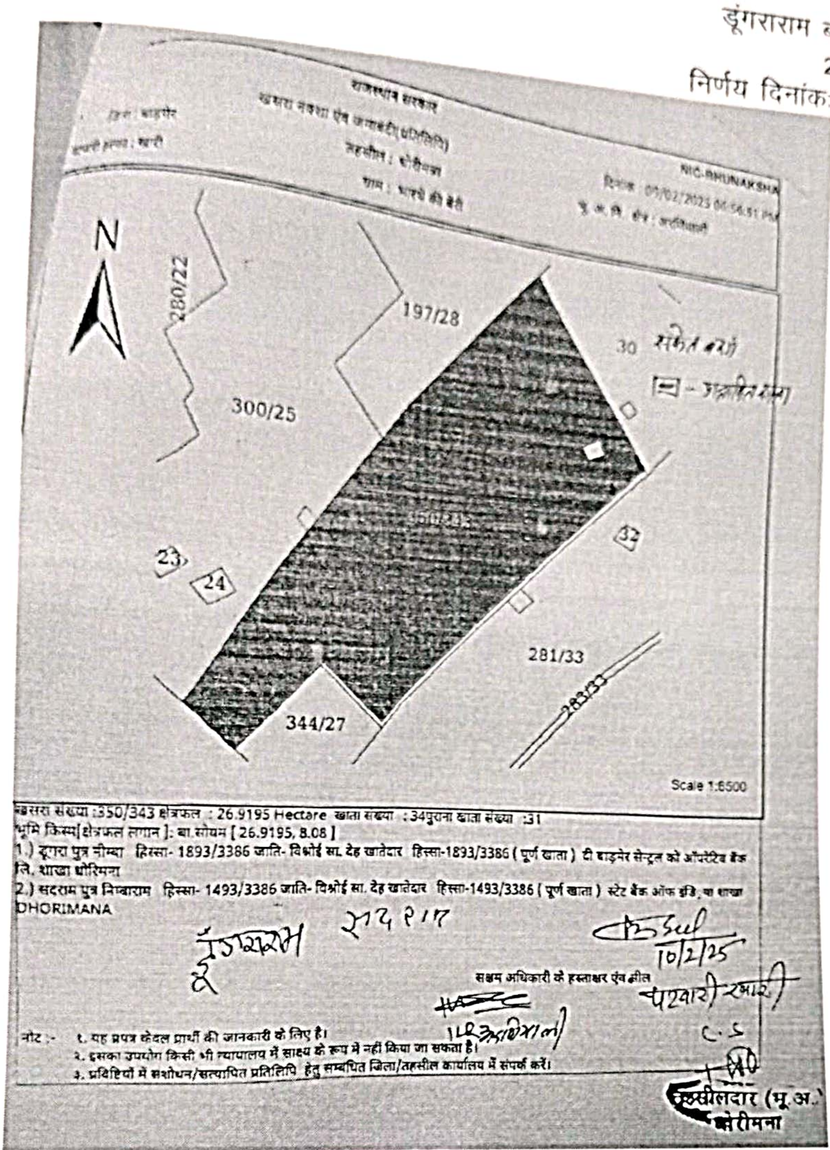

9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार धोरीमन्नाके पत्रांक कोर्ट./आरए/2024/3050 दिनांक 10.02.2025की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 350/343 तक विप्रार्थी के खसरा संख्या 30 के सेढे बनी डामर सड़क से रास्ते हेतु समर्पित खसरा 349/343/0.4857 है0 तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 30/7.8914 है0 में लम्बाई 115 गट्ठा,चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.1396 है0 (ए से बी बरंग लाल रंग) तथा इसी खसरे में बाबूदेवी पत्नी हनुमानराम में लंबाई 74 गट्ठा,चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.0898 है0 (बी से सी बरंग लाल रंग) तथा इससे आगे समर्पित रास्ते [illegible] प्रार्थी डूंगराराम के खसरा संख्या 350/343/26.9195 है0 में लंबाई [illegible] रकबा 0.0085 है0 वाके ग्राम भारते की बेरीतहसील धोरीमन्ना की तरफ [illegible] सेढे-सेढ नवीन रास्ता प्रस्तावित बरंग लालव हरा रंग से अंकित लम्बाई [illegible] 3गटठा चौडा गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आपसी सहमति से विना प्रतिफल प्राप्त किए राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested

डूंगराराम बनाम रूखमण
2020/00139
निर्णय दिनांकः—11.02.2025

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना की दिनांक 10.02.2025 प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शाके अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार धोरीमन्नाको आदेश दिये जाते है कि दिनांक 10.02.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी हाल खसरा संख्या 350/343/26.9195 है0 वाके ग्राम भारते की बेरी,पटवार हल्का खारी ,तहसील धोरीमन्ना तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या क्रमषः 30/7.8914 है0 में लम्बाई 115 गट्ठा,चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.1396 है0 (ए से बी बरंग लाल रंग) तथा इसी खसरे में बाबूदेवी पत्नी हनुमानराम के कब्जे में से लंबाई 74 गट्ठा,चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.0898 है0 (बी से सी बरंग लाल रंग) तथा इससे आगे समर्पित रास्ते तक प्रार्थी डूंगराराम के खसरा संख्या 350/343/26.9195 है0 में लंबाई 7 गट्ठा चौड़ाई 3 गट्ठा रकबा 0.0085 है0 वाके ग्राम भारते की बेरी तहसील धोरीमन्ना में अंकित प्रस्ताव में इंगित बरंग लाल व हरा रंग से प्रदर्शित लम्बाई 196 गट्ठाएवं 3 गट्ठा चौडाई के रास्ते में आयी भूमि के बदले बिना कोई प्रतिफल लिए नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें।दिनांक 10.02.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 13:57:23 IST
Reason: SelfAttested